राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 384/2016

रामकरण बिडियासर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, तहसील जायल, जिला नागौर।
4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2016

आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अमित ओझा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2014 एवं 13.05.2014 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी से वसूली गई राशि रूपये 34,678/– को वापिस मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस लौटाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 05.10.1972 को भारतीय वायु सेना में ट्रेड वायरलैस ऑपरेटर ग्रुप–2 के पद पर नियुक्त हुआ और दिनांक 31.10.1987 को सेवानिवृत्त हुआ तत्पश्चात् अपीलार्थी

वायुसेना नई दिल्ली द्वारा पेंशन का भुगतान किया गया और राजस्थान सरकार में अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पुनः नियुक्त हुआ और दिनांक 09.10.2009 को प्रधानाध्यापक के पद पर अपीलार्थी पदोन्नत हुआ तथा दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग भेजा गया। परंतु पेंशन विभाग द्वारा पूर्ण प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज नहीं होने के कारण वापस भेज दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 04.03.2014 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा तदुपरांत विभाग द्वारा पेंशन नियम के नियम 1977 के अंतर्गत अपीलार्थी को दिनांक 18.07.1998 तक मंहगाई भत्ता का लाभ दिया जाना उचित नहीं माना और त्रुटिवश जो मंहगाई भत्ता भुगतान किया गया है, वह वसूली किये जाने योग्य है और अपीलार्थी से मंहगाई भत्ता रूपये 34,678/– वापिस लिया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2014 एवं 13.05.2014 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी से वसूली गई राशि रूपये 34,678/– को वापिस मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस लौटाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान पेंशन सेवा नियम, 1996 के नियम 77 के तहत पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर विधि अनुसार मंहगाई भत्ता देय नहीं है। विभाग द्वारा पेंशन पर मंहगाई भत्ता देय किया गया। अपीलार्थी से वसूल कर उसके द्वारा रूपये 34,678/– विभाग में जमा करवा दिये गये। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 05.10.1972 को भारतीय वायु सेना में ट्रेड वायरलैस ऑपरेटर ग्रुप–2 के पद पर नियुक्त हुआ और दिनांक 31.10.1987 को सेवानिवृत्त हुआ तत्पश्चात् अपीलार्थी वायुसेना नई दिल्ली द्वारा पेंशन का भुगतान किया गया और राजस्थान सरकार में अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पुनः नियुक्त हुआ और दिनांक 09.10.2009 को प्रधानाध्यापक के पद पर अपीलार्थी पदोन्नत हुआ तथा दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो गया। परंतु पेंशन नियम के नियम 1977 के

अंतर्गत अपीलार्थी को दिनांक 18.07.1998 तक मंहगाई भत्ता का लाभ दिया जाना उचित नहीं माना और त्रुटिवश भुगतान किये गये मंहगाई भत्ता की अपीलार्थी से राशि रूपये 34,678/— वसूल कर ली गई। जबकि कार्मिक को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :—

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उन्होने आगे यह भी तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश दिनांक 17.08.2016 को विस्तृत दिशा

निर्देश जारी किया है। अतः अपीलार्थी से की गई वसूली उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2014 एवं 13.05.2014 को अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से वसूली गई राशि रूपये 34,678/– को पुनः अपीलार्थी को वापिस लौटाई जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य